

दिनांक : 01 नवम्बर, 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

उ.प्र. संयुक्त प्रवेश-परीक्षा बी.एड.-2021-23 के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 08 नवम्बर, 2021 से महाविद्यालय स्तर से सीधे प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। काउंसलिंग का यह तृतीय चक्र, महाविद्यालय स्तर पर केवल बी.एड. काउन्सिलिंग पोर्टल के द्वारा ही किया जायेगा। काउंसलिंग के इस चक्र में केवल वैध स्टेट-रैंक धारक अभ्यर्थी ही सम्मिलित हो सकते हैं। इस काउंसलिंग में केवल वही अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं,

- जिन्होंने मुख्य काउन्सिलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है अथवा
- मुख्य काउंसलिंग अथवा पूल काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था, किन्तु उन्हें कोई सीट आबंटित नहीं हो सकी है।

अभ्यर्थी को रुपये 750/- मात्र का नॉन-रिफंडेबल, केवल ऑनलाइन मोड (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से काउंसलिंग शुल्क जमा करना होगा। महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अभ्यर्थी के विवरण को सत्यापित करेगा और नियमों के अनुसार अभ्यर्थी को सीधे प्रवेश देगा। शुल्क महाविद्यालय स्तर पर ही जमा किया जाएगा। अभ्यर्थी का सत्यापन जेईई बीएड काउन्सिलिंग पोर्टल पर अभ्यर्थी के पंजीकृत और वैकल्पिक मोबाइल नंबरों पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करके करना होगा।

उ.प्र. संयुक्त प्रवेश-परीक्षा बी.एड.-2021-23 के अंतिम चरण, जो कि दिनांक 16 नवम्बर, 2021 से प्रस्तावित है, में अभ्यर्थी अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर अल्पसंख्यक सीटों पर प्रवेश का अधिकार होता है किन्तु प्रायः अनेक अल्पसंख्यक महाविद्यालय स्वयं की परीक्षा आयोजित न करके संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची से चयन करके अपनी प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करते हैं तथा बाद में प्रवेशित छात्रों की सूची को सत्यापित करने हेतु प्रेषित करते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक समय तथा श्रम लगता है। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा अल्पसंख्यक संस्थानों की सुविधा हेतु काउन्सिलिंग का यह एक अतिरिक्त चक्र संचालित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक संस्थान पहले ही अपनी गैर अल्पसंख्यक सीटों (कॉलेज की 50% सीटें) के लिए नियमित काउंसलिंग (चक्र 1, चक्र 2, चक्र 3) में भाग ले चुके हैं। काउंसलिंग का यह चक्र केवल अल्पसंख्यक सीटों के लिए ही होगा। अगर अल्पसंख्यक संस्थान चाहते हैं तो काउंसलिंग के इस चक्र के माध्यम से अल्पसंख्यक सीटों को भर सकते हैं। काउंसलिंग का यह चक्र अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अनिवार्य नहीं है। केवल वे अल्पसंख्यक संस्थान जो जेईई बी.एड 2021 की मेरिट सूची के अभ्यर्थियों से अपनी अल्पसंख्यक सीटें भरना चाहते हैं भाग ले सकते हैं। अल्पसंख्यक संस्थान, उ.प्र. संयुक्त प्रवेश-परीक्षा बी.एड.-2021-23 के नियमों के अनुसार, उस विश्वविद्यालय, जिससे वे संबद्ध हैं की सहमति से किसी अन्य प्रक्रिया से अल्पसंख्यक सीटों पर अपनी प्रवेश प्रक्रिया कर सकते हैं। इस स्थिति में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेशित छात्रों की सूची का सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग के इस चक्र में भाग ले सकते हैं जिनके पास वैध राज्य रैंक है। अभ्यर्थियों को किसी भी अल्पसंख्यक कॉलेज की अल्पसंख्यक सीटों पर ही प्रवेश दिया जा सकता है। जिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के किसी भी दौर में प्रवेश नहीं दिया गया है, केवल वे ही अल्पसंख्यक सीटों पर प्रवेश के पात्र हैं। कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अभ्यर्थी के विवरण का सत्यापन करेगा और नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश देगा। अभ्यर्थी का सत्यापन जेईई बीएड परामर्श पोर्टल पर अभ्यर्थी के पंजीकृत और वैकल्पिक मोबाइल नंबरों पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करके करना होगा। अल्पसंख्यक सीटों पर सीधे प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को काउंसलिंग शुल्क रुपये 750.00 का भुगतान करना होगा। शुल्क कॉलेज स्तर पर जमा किया जाएगा।

(प्रो. अमिता बाजपेयी)

राज्य समन्वयक

संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड.-2021